समीक्षा बैठक. गांधी सेतु के समानांतर नया फोरलेन पुल बनाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

पटना में बनेगा 50 किमी लंबा रिंग रोड

संवाददाता ▸ पटना

पटना में 50 किमी लंबा नया आउटर रिंग रोड बनेगा, जो बिहटा के कन्हौली से शुरू होकर नौबतपुर, लखना, दनियावां, फतुहा होतें हुए कच्ची दरगाह तक आयेगा. वहीं, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु की बगल में पटना के जीरो माइल से हाजीपुर के रामाशीष चौक तक फोरलेन पुल बनेगा. बुधवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी. बैठक में सभी स्टेट हाइवे को टू लेन करने, शहर में बनने वाले पुल और सड़कों में बिजली व लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम की जगह पथ निर्माण विभाग को ही करने की सहमति बनी. साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुके इंडो-नेपाल रोड को लेकर फिर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को देने का भी निर्णय लिया गया. बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पटना आउटर रिंग रोड के एलायमेंट की स्वीकृति दे दी गयी है. यह स्टेट हाइवे- 78 पर बनेगा. बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

₹3000 करोड़ की डीपीआर पुल के लिए तैयार, केंद्र को जायेगा प्रस्ताव

335 छोटे, कमजोर व स्क्रू पाइल ब्रिज की जगह तीन साल में आरसीसी पुल

1. **पटना में** कन्हौली से कच्ची दरगाह तक बनेगा नया आउटर रिंग रोड
2. **पुलों पर** लाइट की व्यवस्था अब पथ निर्माण विभाग करेगा

बुधवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री.

बैठक में

गंगा पाथवे में 13वें से 20वें किमी के बीच चार किमी एलिवेटेड पथ बनाने की सहमति भीं दी गयी

दीघा से कृष्णा घाट तक आठ किमी बनने वाले गंगा पाथवे को मई, 2018 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया

नया पुल जीरो माइल से रामाशीष चौक तक

गांधी सेतु के समानांतर जीरो माइल से रामाशीष चौक तक बनने वाले पुल के एलायमेंट को भी मंजूरी दी गयी है. इसका नाम नया (नूतन) गांधी सेतु होगा. इसके लिए 3000 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गयी है. केंद्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा.

तीन सालों में सभी स्टेट हाइवे होंगे टू लेन

मुख्य सचिव ने बताया कि सभी स्टेट हाइवे को तीन साल में टू लेन विथ पेव्ड सोल्डर (10 मीटर तक चौड़ा) किया जायेगा. राज्य में 4005 किमी स्टेट हाइवे हैं. इसमें से 2685 किमी टू लेन हो चुका है और अगले तीन सालों में 1320 किमी को टू लेन किया जायेगा. इसमें सात मीटर सड़क और इसकी दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर पेव्ड सोल्डर होगा. 335 छोटे, कमजोर और स्क्रू पाइल ब्रिज की जगह तीन साल में आरसीसी पुल बनेंगे.

मेंटेनेंस के लिए ₹5 लाख प्रति किमी सड़क

सड़क निर्माण में न्यूनतम स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर वह जल्द टूट जाती है, ऐसे में सड़क को मरम्मत के लिए एजेंसी को दिया जायेगा. हर किमी सड़क के मेंटेनेंस के लिए पांच लाख रुपये की व्यवस्था होगी, वहीं पांच साल में एक किमी सड़क पर एक परत चढ़ाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान होगा. शहरी क्षेत्रों में पथ निर्माण विभाग की ओर से बनाये गये पुल व सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नगर निगम नहीं, बल्कि विभाग ही करेगा. पटना मेट्रोपोलिटन एरिया में सड़कों की आवश्यकता होने पर पथ निर्माण विभाग ही निर्माण करायेगा. स्टेट हाइवे की बगल में पेयजल, शौचालय की सुविधा भी होगी. बाइपास के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया गया.